कंपनी का नाम	डी.पी. आईडी – ग्राहक आईडी/फोलियो सं.
बैंक ऑफ़ इंडिया	

[1] **फॉर्म संख्या 15**एच

[धारा 197ए(1सी) और नियम 29सी *देखें*]

कर की कटौती के बिना कतिपय प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक की हो धारा 197 क (1सी) के अधीन की जाने वाली घोषणा

करदाता (घोषणाकर्ता) का नाम	2. स्थायी खाता संख्या या आधार करदाता की संख्या [1]	3. तिथि जन्म (दिन/माह/वर्ष)
4. पिछला वर्ष (पू.व.) [3] (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)	5. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक नं.	6. परिसर का नाम
2025-26		

7. सड़क/गली/लेन	8. क्षेत्र/अवस्थान	9. नगर/शहर/जिला	10. राज्य

11. पिन	12. ई-मेल	13. टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नंबर

14 (*क*) क्या कर निर्धारण किया गया है:	हाँ		नहीं	
(*ख*) यदि हां, तो नवीनतम कर निर्धारण वर्ष क्या है?				
15. अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई है				
16. वित्तीय वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 15 में उल्लिखित आय को शामिल किया जाना है [5]				

17. पिछले वर्ष के लिए दाखिल इस फॉर्म के अलावा फॉर्म संख्या 15एच का विवरण, यदि कोई हो [6]

फॉर्म संख्या 15एच दाखिल करने वालों की कुल संख्या	आय की कुल राशि जिसके लिए फॉर्म संख्या 15एच फाइल किया गया है

18. आय का विवरण जिसके लिए घोषणा दायर की गई है

क्रम सं.	प्रासंगिक पहचान संख्या निवेश/खाता, आदि	आय की प्रकृति	वह धारा जिसके अंतर्गत कर कटौती योग्य है	आय की राशि

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

1. आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2015 द्वारा **01-10-2015** से प्रतिस्थापित। इससे पहले फार्म संख्या 15एच को आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1982 द्वारा 21-6-1982 से , आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1989 द्वारा 1-4-1988 से , आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1990 द्वारा 20-11-1990 से, आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 1992 द्वारा 1-6-1992 से, आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1995 द्वारा संशोधित किया गया था । 1-7-1995, आईटी (बत्तीसवां संशोधन) नियम, 1999, 19-11-1999 से , आईटी (बारहवां संशोधन) नियम, 2002, 21-6-2002 से , आईटी (आठवां संशोधन) नियम, 2003, 9-6-2003 से , आईटी (चौदहवां संशोधन) नियम, 2003, 1-8-2003 से और आईटी (दूसरा संशोधन) नियम, 2013, 19-2-2013 से ।

घोषणा/सत्यापन [8]

मैं .....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 का अर्थातगर्त भारत का निवासी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर जो कहा गया है वह सही, पूर्ण और सत्य है और इस फॉर्म में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में समाविष्ट योग्य नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि दिनांक **31-03-2026** को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार संगणित स्तंभ 15 में निर्दिष्ट *आय/आयों* और स्तंभ 17 में निर्दिष्ट *आय/आयों की कुल राशि सहित मेरी अनुमानित कुल आय पर कर, जो कि कर निर्धारण वर्ष **2026-27** से संबंधित है, शून्य होगा।

स्थान : .....
दिनांक : .....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग II

भाग I के स्तंभ **15** में निर्दिष्ट **आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाए]**

1. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम		2. विशिष्ट पहचान संख्या [9]
संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या	4. पूरा पता	5. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का टैन
6. ई-मेल	7. टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नंबर	8. संदाय आय की राशि [10]
9. घोषणा प्राप्त होने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	10. वह तारीख जब आय का संदाय किया गया/जमा किया गया (दिन/माह/वर्ष)	

स्थान: .....

दिनांक: .....

भाग I के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का

संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो भी लागू न हो उसे हटा दें।

1. धारा 206एए(2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि घोषणाकर्ता अपना वैध स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो धारा 197ए(1सी) के तहत घोषणा अमान्य होगी।

2. घोषणा किसी भी ऐसे निवासी व्यक्ति द्वारा जिसकी आयु पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक है, प्रस्तुत की जा सकती है,

3. वह वित्तीय वर्ष जिससे आय संबंधित है।

4. यदि घोषणा दाखिल करने के वर्ष से पहले के छह निर्धारण वर्षों में से किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कर निर्धारण किया गया है तो कृपया "हां" का उल्लेख करें।

5. कृपया पूर्ववर्ती वर्ष की अनुमानित कुल आय की राशि का उल्लेख करें जिसके लिए घोषणा दायर की गई है, जिसमें वह आय राशि भी शामिल है जिसके लिए यह घोषणा की गई है।

6. यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस घोषणा को फाइल करने से पहले फॉर्म संख्या 15एच में कोई घोषणा(एँ) दाखिल की गई है, तो दाखिल किए गए ऐसे फॉर्म संख्या 15एच की कुल संख्या के साथ-साथ आय की कुल राशि का उल्लेख करें जिसके लिए उक्त घोषणा(एँ) दाखिल की गई हैं।

7. शेयरों, सावधि जमा, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजनाओं, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि की विशिष्ट खाता संख्या का उल्लेख करें।

8. घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सभी मामलों में सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में गलत बयान देने वाले किसी भी व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी पाए जाने पर उसे निम्नलिखित दंड दिया जा सकता है-

(i) उस मामले में जहां कर की अपवंचना पच्चीस लाख रुपये से अधिक हो, कठोर कारावास से, जो छह महीने से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना भी लगाया जा सकेगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, सश्रम कारावास से, जो तीन माह से कम नहीं होगा किन्तु दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

9. भाग I के स्तंभ 15 में "निर्दिष्ट" आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी फॉर्म नंबर 15एच को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा और उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत टीडीएस विवरण में आयकर नियम, 1962 के नियम 31ए(4)(*vii*) में निर्धारित विवरणों के साथ इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट करेगा। यदि व्यक्ति को उसी तिमाही के दौरान फॉर्म नंबर 15जी भी प्राप्त हुआ है, तो कृपया फॉर्म नंबर 15एच और फॉर्म नंबर 15जी के लिए क्रम संख्या की पृथक क्रम आवंटित करें।

10. भाग I के कॉलम 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उस स्थिति में घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा, जब धारा 197ए(1सी) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की राशि या पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान की गई या जमा या भुगतान की जाने वाली संभावित आय की कुल राशि, जिसमें ऐसी आय शामिल की जानी है, अध्याय VI-ए के तहत कटौती (यदि कोई हो) या "आवास संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत हानि, यदि कोई हो, के लिए अनुमति देने के बाद कर के लिए प्रभार्य नहीं होने वाली अधिकतम राशि से अधिक हो, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र है। पात्रता विनिश्चय करने के लिए, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्तंभ 15 या 17 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई, यथा स्थिति आय या आयो की कुल राशि का सत्यापन करें।

[1] ***[****बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति उस स्थिति में घोषणा को स्वीकार करेगा जहां निर्धारिती की आय , जो धारा 87ए के तहत आयकर की छूट के लिए पात्र है, उस आय से अधिक है जिसके लिए इस नोट के अनुसार घोषणा स्वीकार की जा सकती है, लेकिन उसकी कर देयता उक्त धारा 87ए के तहत उसके लिए उपलब्ध छूट को ध्यान में रखने के पश्चात शून्य होगी । ****]***

आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 22-5-2019 से अंत: स्थापित ।